Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, NOV-DEC, 2021, VOL- 9/68

घरेलू हिंसा के प्रति उत्तरदायी कारक

ललित कुमार सिंह, Ph. D.
विभागाध्यक्ष–समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, गौंडा, अलीगढ़

Paper Received On: 21 DEC 2021
Peer Reviewed On: 31 DEC 2021
Published On: 1 JAN 2022

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

घरेलू हिंसा; महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का एक बहुत ही प्रमुख प्रकार है। हमारे यहाँ महिलायें प्राचीन काल से ही अवमानना, प्रताड़ना, यातनाओं तथा शोषण की शिकार होती रही हैं, कारण कुछ भी रहे हों, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस समस्या के लिए व्यक्तित्व तथा परिस्थिति दो उपागम महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार के विगत 20 वर्षों के आंकड़े इसका स्पष्ट प्रमाण हैं कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मुख्यतः दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, पत्नी को मारना पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, बच्चों, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कौटुम्बिक व्यभिचार आदि आते हैं जिनकी वजह से महिलाओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक सामंजस्य की समस्यायें जनित हो जाती हैं; साथ ही समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। परिणामतः वे असहाय और अवसादग्रस्त होकर जीवन जीती हैं।

महिलाओं को आमतौर पर अपराध करने की दृष्टि से आसान लक्ष्य माना जाता है। महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जो निम्न हैं :–

(अ) हिंसात्मक अपराध

(ब) घरेलू हिंसा से सम्बन्धित अपराध

(स) सामाजिक अपराध।

राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लोकसभा के द्वारा 24 अगस्त 2005 को और राज्य सभा के द्वारा 29 अगस्त सन् 2005 को पारित हुआ तथा भारत वर्ष के राष्ट्रपति की अनुमति 14 सितम्बर 2005 को भारत का राजपत्र असाधारण रूप में प्राप्त हुयी। इस अधिनियम में कुल 37 धारायें हैं। केन्द्रीय सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006 बनाई जो 26 अक्टूबर 2006 को प्रवृत्त हुयी तब से राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू हिंसा कानून 2005 क्रियान्वित किया गया है जो कि संज्ञेय और गैर जमानती

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अपराध है। ताकि महिलाओं और बच्चों पर घरों में होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पुरूषों की हर तरह की हिंसा से सुरक्षा देना है। इसके तहत बिना विवाह के साथ रहने वाली महिलाओं, विधवाओं और बहिनों को भी सुरक्षा मिलेगी। नियम कायदों के उल्लंघन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जायेगा। दोषी पाये जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजायें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक महिला (पत्नी) के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने या उसे अश्लील चित्र देखने के लिए मजबूर करने, दबाब बनाने या फिर सैक्स कोई ऐसा कार्य जिससे उसे चोट पहुँचती हो घरेलू हिंसा के दायरें में आयेगा। यही बातें बच्चों के मामलों में भी लागू होगी। इतना ही नहीं, लड़का न पैदा करने के लिए महिला को ताने देना, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, यहाँ तक कि उसे गलत नाम से बुलाने, पुकारने उसके बच्चों को स्कूल/कालेज जाने से रोकने वाले पुरूषों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चों को पीटना, थप्पड़ या लात घूंसा मारकर चोट पहुँचाना तथा पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा। इसी तरह न चाहने वाले व्यक्ति से ाादी के लिए मजबूर करना या फिर चाहने वाले से शादी करने से रोकना भी इसके दायरे में आयेगा इसके अलावा नौकरी करने से रोकना, उसे छोड़ने का दबाव बनाना, महिला या बच्चों को घर में रहने से रोकना, महिला व बच्चों के किराये के मकान का भुगतान न करना, घरेलू सामानों व घर के किसी हिस्से के उपयोग से रोकना, महिला या बच्चों को उनके ही वेतन को खर्च न करने देना, नौकरी में बाधा पहुँचाना, पत्नी और बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए धन न देना और रोटी, कपड़ा व दवाई का इन्तजाम न करना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–18 में कहा गया है कि इस तरह की हरकतों की स्थिति में पत्नी अपने स्त्रीधन, गहने जेवर और कपड़ों को अपने कब्जे में ले सकेगी। साथ ही ऐसी स्थिति में बिना कोर्ट की इजाजत के संयुक्त बैंक खातों व बैंक लॉकर्स का भी, उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–19 महिलाओं व बच्चों को यह अधिकार देती है कि उन्हें घर में रहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे घरों को बेचा भी नहीं जा सकेगा। मकान किराये का होने पर उसी तरह की सुविधा का दूसरा मकान दिलाना बाध्यता होगी। यह अधिनियम महिला उत्पीड़न रोकने के लिए लागू किया गया है।

इस अधिनियम के बाद भारत में विवाहित रिश्ते जो आज पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुके हैं; और जल्दी टूटने के कगार पर आ जायेंगे। ऐसा लगता है कि अब पति पत्नी के बीच छोटी–छोटी बातें भी राई से पहाड़ बन जायेंगी और महिला कानून का सहारा लेकर पति पर मुकदमा कायम करायेंगी। हालांकि यह सच है कि आज महिला उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन इस समस्या का समाधान इस कानून के बना देने से नहीं होने वाला। इसके लिए तो हमें सामाजिक रूप से प्रयत्न करने होंगे जिसमें घर, परिवार, समाज तथा समाजसेवी संस्थाओं, गैर

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शासकीय संगठनों तथा शासन को मुख्य भूमिका निभानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह कानून भी ठीक 'ढाक के तीन पात' के समान ही साबित होगा।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मौलिक उद्देश्य ''विधिक परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का महिलाओं, पुरूषों व बच्चों पर प्रभाव'' का अध्ययन एक विधिक दृष्टिकोण से करना है। इसके लिए अनुसंधित्सु ने अध्ययनार्थ निम्न पूरक उद्देश्य भी निर्धारित किये है :–

(1) न्यादर्शों की वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृ ठभूमि की जानकारी करना।

(2) महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के स्वरूपों तथा विशे ाताओं का अध्ययन करना।

(3) घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

(4) घरेलू हिंसा से व्यक्ति तथा परिवार पर पड़ने वाले दु प्रभावों का अध्ययन करना।

(5) उत्पीड़ितों, उत्पीड़कों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का घरेलू हिंसा के प्रति दृ टकोणों का अध्ययन करना।

(6) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन से पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जनमानस की प्रतिक्रिया जानना।

(7) घरेलू हिंसा अधिनियम–2005 के विभिन्न अधिनियमों में स्त्री तथा उनके बच्चों को जो अधिकार दिये गये हैं, उन धाराओं की जानकारी करना।

(8) समस्या समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य का पुनरावलोकन :

अनुसंधित्सु ने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रसंगों में पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षाएं भी की हैं, जो शोध का एक आवश्यक तथा अनिवार्य सोपान होता है–

1. **पटवर्धन (2002)** ने आनुभविक अध्ययन जो 300 परिवारों पर किया गया, से ज्ञात होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में विवाहित महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा 17.5 प्रतिशत जिसका कारण उनमें व्याप्त अशिक्षा, प्रथागत नियम तथा निर्धनता है।
2. **सेन गुप्ता (2005)** द्वारा किए गए महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अध्ययन से पता चलता है, कि परिवारों में घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप पत्नियों की पिटाई, मारना–पीटना, गाली–गलौज करना है। महिलाएं अपने पतियों द्वारा ही पीटी जाती हैं, अन्य सदस्यों द्वारा नहीं। पत्नियों की पिटाई साधारण ही होती है, गम्भीर नहीं।एक ऐसा भी मामला प्रकाश में आया जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति की पिटाई की जाती थी। जिसे अपवाद माना जा सकता है।
3. **आर्या रीना (2006)** द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के अध्ययन से जो कारण स्प ट होते हैं, उनमें पति की अहं भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति, पति में हीनता की भावना, परिवार की महिला सदस्यों के पारस्परिक झगड़े, घरेलू व अन्य कार्यों में पति की इच्छानुसार कार्य

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

न करना, पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतना, पत्नी का पति की पसंद के अनुरूप न होना, पुत्रियों की अधिक संख्या तथा दहेज की मॉग आदि प्रमुख है। आम तौर पर यह माना जाता है, कि मद्यपान या नशा भी हिंसा का एक कारण है।

4. **राम आहूजा (1987)** ने भी अपने अध्ययन में देखा, कि पत्नी की पिटाई करने वाले पतियों ने अपनी पत्नी को पीठ पीछे बुराई करने वाली, उनकी माता, भाईयों व बहिनों के साथ बुरा व्यवहार करने, घर की उपेक्षा करने, सगे सम्बन्धियों से बुरी बात करने, कुछ लोगों से गलत सम्बन्ध रखने, अपने ससुराल वालों का कहना मानने से इनकार करने उन्हें लड़ाई वाले स्वभाव से क्रुद्ध करना तथा उनके मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने का दोषी पाया। पति द्वारा पत्नी की पिटाई के साथ परिवार के अन्य सदस्य तटस्थ रहते हैं।
5. **हिलबरमन और मन्सन (2007)** में 73 प्रतिशत मामलों में ऐसा पाया गया है।
6. **बोल्फगैंग (2007)** ने भी अपने आनुभविक अध्ययन में 67 प्रतिशत मामलों में ऐसा पाया।
7. **टिकलेनवर्ग (2007)** ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन में 71 प्रतिशत मामलों में ऐसा देखा। पूर्व अध्ययनों से यह पता चलता है कि केवल मद्यपान ही, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। क्योंकि अधिकतर पति अपनी पत्नी को तब पीटते हैं जब वे शराब पिए नहीं होते हैं। सभी पीड़ित पत्नियॉ यह मानती हैं, कि उनकी गलती होने पर पति द्वारा पीटा जाना उचित है। जबकि उनकी गलती न होने पर उनकी पिटाई अनुचित है।
8. **सीमोन द बोउआ; अपनी पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स' (2002)** में यह स्प ट रूप से उल्लेख करती है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पुरू ाों में शक्ति तथा आक्रामकता के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित किए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत स्त्रियों में लज्जा तथा सहनशीलता के गुण विकसित किए जाते हैं। महिलाएं स्वयं भी यह मानकर चलती हैं कि पुरू ा स्त्री से श्रे ठ हैं। अतः वह अपनी पत्नी के ऊपर तमाम अधिकार रखता है, यहॉ तक कि मारने पीटने का भी। एक अन्य कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होना भी है। इससे मानसिक तनाव में कमी आती है और पति–पत्नी के बीच लड़ाई–झगड़े के अवसरों की सम्भावनाएं भी कम हो जाती हैं।
9. **सिंह एण्ड यादव (2006)** ने अपने अध्ययन में पाया कि वर्तमान में उक्त अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है तथा इस अधिनियम में दो ाी को दिये जाने वाला दण्ड किए जाने वाले अपराध की तुलना में अधिक कठोर है तथा सामाजिक धरातल पर इस कानून के तहत झूँठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं।

शोध हेतु परीक्षणार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण :

प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए निम्नांकित परिकल्पनाएं परीक्षणार्थ निर्मित की गयी हैं, जिनकी सत्यता व सार्थकता के परीक्षण विभिन्न साँख्यकीय परीक्षणों

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ख्यथा– काई वर्ग **(X^2)** परीक्षण, सह–सम्बन्ध गुणांक **(r)**] असंगत/आकस्मिकता गुणांक **(Q)**] स्टूडेन्ट **(t)** परीक्षण, से गणनाएं करके तत्सम्बन्धित तार्किक निष्कर्ष स्थापित किए जायेंगे। परीक्षणार्थ निर्मित परिकल्पनाएं निम्नवत् हैं :–

(1) घरेलू हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के विरूद्ध हो सकती है, किन्तु महिलाएं ही इसकी शिकार अधिक होती हैं।

(2) घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप पत्नियों की पिटाई है।

(3) घरेलू हिंसा की शिकार, अशिक्षित महिलाएं अधिक होती है।

(4) घरेलू हिंसा का सम्बन्ध मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं से है।

(5) हिंसात्मक व्यवहार से उत्पीड़ित को शारीरिक/मानसिक आघात पहुँचता है।

(6) आत्म–निर्भर पत्नियों को पिटने की सम्भावना न्यून होती है।

(7) शिक्षा के प्रचार–प्रसार से घरेलू हिंसा में कमी लायी जा सकती है।

प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्षः प्रस्तुत आनुभविक अध्ययन से (विशेषतः ग्रामीण) महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक/घरेलू हिंसा के जो कारण (कारक) अवलोकन में स्पष्ट हुए हैं; उनमें पति की अहम भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति, पति में हीनता की भावना, परिवार के महिला सदस्यों के आपसी विवाद, घरेलू व अन्य कार्यों को पति की इच्छानुसार न करना, पत्नी का हठी होना, पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना, पत्नी का पति की पसन्द के अनुरूप न होना, पुत्रियों की संख्या अधिक तथा दहेज की माँग आदि हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों में नशाखोरी तथा आर्थिक कठिनाईयाँ भी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार तथा घरेलू हिंसा में योगदान देती हैं। बाहरी परिस्थितियों से जनित तनाव भी इसका कारण है। कई बार पति बाहरी कारकों से तनाव ग्रसित होकर जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपना सारा क्रोध पत्नी व बच्चों पर उतार देते हैं जिसकी परिणित घरेलू हिंसा रूप में प्रस्फुटित होती है। इन प्राप्त तथ्यों की पुष्टि **राम आहूजा**[5] के अध्ययन के निष्कर्षों से भी होती है। दोषपूर्ण व्यक्तित्व होना तथा महिलाओं में अशिक्षा होना उत्तरदायी कारक स्वीकार किए हैं, परन्तु शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने महिला अशिक्षा, महिलाओं द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करते रहना व उत्पीड़क का व्यक्तित्व दो ापूर्ण होना; कारकों को घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी बताया है। इन प्राप्त आनुभविक तथ्यों के विश्ले ाण के प्रकाश में निष्कर्ष यह है कि ''महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के लिए कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं है; अपितु इसके लिए विभिन्न (एकाधिक अर्थात् अनेक) कारक उत्तरदायी होते हैं।''

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. 6(1) : ''क्या आप निम्न कारकों को महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी मानते हैं?'' –सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर/अभिमत

क्रम	महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा हेतु उत्तरदायी कारक	क्या आप घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी मानते हैं (सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	दण्ड विधानों का शिथिल होना, केस प्रक्रिया लम्बी, लचर तथा बिकाऊ न्याय	288 (80.00)	20 (05.56)	40 (11.11)	12 (03.33)	360 (100.00)
2	महिला संगठनों का अभाव तथा महिला कोर्ट न होना, ऐसी महिलाओं को परामर्श व कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन न मिलना	252 (70.00)	35 (09.72)	73 (20.28)	-- (00.00)	360 (100.00)
3	महिलाओं में अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव	280 (77.78)	40 (11.11)	35 (09.72)	05 (01.39)	360 (100.00)
4	सामाजिक कुप्रथाएं/कुरीतियाँ (बाल विवाह, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नि ोध)	248 (68.89)	24 (06.67)	88 (24.44)	-- (00.00)	360 (100.00)
5	पारिवारिक तनाव/कुसामंजस्य तथा पति को भर्ता (भरण पो ाण करने वाला समझना)	288 (80.00)	51 (14.17)	16 (04.44)	05 (01.39)	360 (100.00)
6	दो ापूर्ण व्यक्तित्व (आत्म सम्मान की कमी, हीनता की भावना होना, सन्देहपूर्ण मानसिकता, क्रूर एवं हिंसक व्यवहार)	251 (69.72)	80 (22.22)	29 (08.06)	-- (00.00)	360 (100.00)
7	हिंसा के प्रति आवाज न उठाना, चुपचाप सहन कर लेना, बचपन से ही उन्हें बुजदिल बना देना	300 (83.33)	-- (00.00)	60 (16.67)	-- (00.00)	360 (100.00)

सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची

विष्णु स्वरूप – *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (2018)*

अवस्थी सुधा – *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (2019)*

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पाण्डेय जे.एन. – भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30डी/1, मोतीलाल नेहरूरोड, इलाहाबाद (2019)

पाण्डेय जे.एस. – भारत का संविधान यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0 79, चौड़ा रास्ता, जयपुर (राजस्थान)(2020)

बावेल बसन्ती लाल – भारतीय दण्ड संहिता 1872, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन 107, दरभंगा वेस्ट, इलाहाबाद(2016)

परांजये एन.बी. – दण्ड प्रक्रिया संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30डी/1 मोतीलाल नेहरूरोड, इलाहाबाद(2015)

जाखड दिलीप – मानवाधिकार, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0 79, चौड़ा रास्ता, जयपुर (राजस्थान)(2014)

आहूजा राम – Crime Against Women, Rawat Publications, (Raj.) Jaipur, 2007, p. 227

सिंह एस.डी. व – घरेलू हिंसा कानून 2005 तथा उसके

यादव यू.पी. प्रति प्रतिक्रिया– एक अध्ययन, प्रकाशित शोध पत्र, राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग', वर्ष 2006, अंक 60, सन् 2006–07

आर्य रीना – ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा, प्रकाशित शोध पत्र, राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग', वर्ष 1995 अंक 58, अप्रैल–जून 2006

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies